भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4050

जिसका उत्तर 19 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

पंजाब में बाढ़ प्रबंधन प्रणाली

4050. श्री चरनजीत सिंह चन्नी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पंजाब में बाढ़ प्रबंधन प्रणालियों का हाल ही में कोई आकलन किया है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय सहायता के बावजूद पंजाब के प्रमुख जिलों में बार-बार बाढ़ आने के क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा नदी बेसिन प्रबंधन में सुधार लाने और सतलुज और व्यास जैसी नदियों की बाढ़ वहन क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ग): जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा "जुलाई-अगस्त 2023 में हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड राज्य में आई व्यापक बाढ़ के मद्देनजर, एक संयुक्त बाढ़ प्रबंधन अध्ययन" करने के लिए, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड राज्यों से तथा अन्य विशेषज्ञ संगठनों से सदस्य शामिल किए गए।

वर्ष 2023 के जुलाई और अगस्त में तीव्र वर्षा के कारण सतलुज, ब्यास और रावी जैसी प्रमुख नदियां प्रभावित हुईं जिसके परिणामस्वरूप पूरे पंजाब राज्य में बाढ़ आ गई थी।

समिति ने निम्नलिखित विचारार्थ विषयों (टीओआर) के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं:

(i) सतलुज और व्यास नदियों के आवाह क्षेत्र में जल हाइड्रोलॉजिकल अवलोकन स्थल (एचओ) और बाढ़ पूर्वानुमान स्थल स्थापित करने की व्यवहार्यता।

(ii) भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के प्रवाह/बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क को जल सूचना प्रबंधन प्रणाली/राष्ट्रीय जल सूचना केंद्र (डब्ल्यूआईएमएस/एनडब्ल्यूआईसी) के मंच पर एकीकृत करना।

(iii) पौंग और भाखड़ा बांधों के रूल कर्व की समीक्षा।

(iv) बेहतर बाढ़-मैदान-प्रबंधन की व्यवहार्यता और बांधों की डिजाइन निस्सरण वहन-क्षमता को बनाए रखने के लिए बांधों के अनुप्रवाह में चैनलों को अतिक्रमण से बचने के उपाय।

(v) क्षति के कारण आई दरारों को रोकने के लिए तटबंधों के बेहतर संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) संबंधी उपाय

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के अनुरोध पर सतलुज, ब्यास और रंजीत सागर बांध के नदी उप बेसिनों के लिए शिमला में एक नया बाढ़ मौसम विज्ञान कार्यालय (एफएमओ) स्थापित किया गया है।

ब्यास बेसिन में समिति ने आठ नए हाइड्रोलॉजिकल अवलोकन (एचओ) केन्द्र स्थापित करने की सिफारिश की है जिन्हें बाढ़ जोखिम प्रबंधन और जल संसाधन योजना में सुधार के लिए सीडब्ल्यूसी द्वारा सत्यापित किया गया है। ब्यास बेसिन में इन नए आठ हाइड्रोलॉजिकल अवलोकन (एचओ) केन्द्रों को केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

समिति ने डेटा समन्वय और प्रबंधन के उन्नयन के लिए सभी हाइड्रो-मौसम विज्ञान स्टेशनों से प्राप्त डेटा को डबल्यूआईएमएस पोर्टल पर एकीकृत करने की सिफारिश की। डेटा साझाकरण को औपचारिक बनाने के लिए बीबीएमबी और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया।

भाखड़ा और पोंग बांधों के लिए रूल कर्व विकसित किया गया है और उसे जलाशय प्रचालनों के बारे में सुविज्ञ निर्णय लेने के लिए बीबीएमबी को प्रदान कर दिया गया है। सीडब्ल्यूसी ने भाखड़ा और पोंग बांधों के लिए बाढ़ रूटिंग अध्ययन भी किए हैं और आवश्यकतानुसार बांधों के सुरक्षित प्रचालन को सुकर बनाने के लिए बीबीएमबी को मुहैया कराया है।

सीडब्ल्यूसी ने उच्च-रिज़ॉल्यूशन डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डीईएम) के साथ इसमें और सुधार के सुझाव के साथ सतलुज नदी की निर्वहन क्षमता का भी आंकलन किया है। समिति ने बेहतर बाढ़-मैदान-प्रबंधन की सिफारिश की ताकि बांधों के अनुप्रवाह में जलमार्गों का अतिक्रमण न हो जिससे इसकी डिजाइन निस्सरण-वहन क्षमता को बनाए रखा जा सके।

समिति ने बाढ़ के जोखिम में बदलाव के कारण हुई टूट-फूट की समस्या के समाधान के लिए तटबंधों के नियमित निरीक्षण और रखरखाव की भी सिफारिश की है।

*****